

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या

05/2024

तारीख दायरा

13.11.2024

तारीख फैसला

24/1/25

तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

बीरबल पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी कंवरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र इस है कि यह कि ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का शहनावदा भू अभिलेख निरीक्षक पीपल्दा तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 68 रकबा 1.70 है. कृषि भूमि आरजी स्थित है।

यह कि उक्त आरजी सेटलमेंट संवत् 2041-2060 से पूर्व खसरा संख्या 52 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा है। जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से नवीन खसरा संख्या 68 दर्ज करते हुए 1.70 है. दर्ज कर दिया इस प्रकार गत खसरा संख्या 52 का रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि, जिसके हेक्टर में 1.37 है. होता है के मुकाबले 0.33 है. भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है। जो की दुरुस्त किए जाने योग्य है

यह कि केस न. 14/16 निर्णय दिनांक 11/08/2023 की पालना में पटवारी हलका शहनावदा द्वारा जर्गे नामा. स. 257 दिनांक 22/02/2024 का जा चुकी है।

यह है कि दिनांक 05.11.2024 को प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का शहनावदा के कार्यालय का निरीक्षण किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश केस न. 14/16 निर्णय दिनांक 11/08/2023 की पालना में पटवारी हलका शहनावदा द्वारा दर्ज किये गये नामा. स. 257 दिनांक 22/02/2024 की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 68 में हो रहे 0.33 है. अधिक रकबे को सिवायचक दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का शहनावदा भू अभिलेख निरीक्षक

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा